



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/अपील 1090/15/मही/2018/ 3894

जयपुर, दिनांक :- 4.9.18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2641 दिनांक 30.6.15 द्वारा श्री महीपाल कटारा, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, बागीदौरा (बांसवाडा) स्थानान्तरण /पदस्थापन पंचायत समिति, चित्तौडगढ किया गया था । उक्त आदेश के विरुद्ध श्री कटारा, कनिष्ठ अभियन्ता ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1090/2015 दायर किये जाने पर माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण ने उक्त अपील में दिनांक 27.7.15 को दिये गये अन्तरिम स्थगन दिये जाने एवं दिनांक 16.10.17 को उक्त दिये स्थगन आदेश को संपुष्ट (Confirm) कर दिये जाने से उक्त विभागीय स्थानान्तरण आदेश अपीलार्थी की सीमा तक प्रभावहीन हो जाने एवं विभाग द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 16.10.17 के विरुद्ध नो अपील का निर्णय लिये जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 2641 दिनांक 30.6.15 द्वारा श्री महीपाल कटारा, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, बागीदौरा (बांसवाडा) का पंचायत समिति, चित्तौडगढ किया गया स्थानान्तरण/ पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार जांगिड)


संयुक्त सचिव एवं

संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।

4. संयुक्त शासन सचिव (विधि), मुख्यालय को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक 3031 दिनांक 23.7.18 के संदर्भ में ।
5. जिला कलेक्टर, बांसवाडा / चित्तौडगढ ।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाडा / चित्तौडगढ ।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बागीदौरा (बांसवाडा)/चित्तौडगढ ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. श्री महीपाल कटारा, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, बागीदौरा (बांसवाडा)।
10. निजी / आरक्षी पत्रावली ।


संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

A.C.P.

262